न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 155 / 2022
अनवान :–

1. संदीप पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. अमरजीत पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कशमीरा पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रतनसिंह धारीवाल **वादीगण**
श्री राजेश नेहरा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 10/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 54 / 48 के मु0 न0 41 के किला न0 11 / 1, 11 / 2, 12 / 1, 12 / 2, 13 / 3, 13 / 4, 18, 19, 20 / 1, 20 / 2, 21 / 1, 21 / 2, 22, 23 / 1 कुल 1.9600है0 जिसमें बारानी 1.2010है0, नहरी 0.6920है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0670है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगणं हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामस्वरूप की खातेदारी हुआ करती थी। प्रविताादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादीगण तथा प्रविताादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का क़ानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं0 3 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी संदीप पुत्र रामकिशन के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 54/48 के मु0 न0 41 के किला न0 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1 कुल 1.9600है0 जिसमें बारानी 1.2010है0, नहरी 0.6920है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0670है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी सं0 1 संदीप व वादी सं0 2 अमरजीत व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 54/48 के मु0 न0 41 के किला न0 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1 कुल 1.9600है0 जिसमें बारानी 1.2010है0, नहरी 0.6920है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0670है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन अकेले के बजाय वादी सं0 1 संदीप व वादी सं0 2 अमरजीत व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 — 155/2022

अनवान : —

1. संदीप पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. अमरजीत पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कशमीरा पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रतनसिह धारीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री राजेश नेहरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 54/48 के मु0 न0 41 के किला न0 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1 कुल 1.9600है0 जिसमें बारानी 1.2010है0, नहरी 0.6920है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0670है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन अकेले के बजाय वादी सं0 1 संदीप व वादी सं0 2 अमरजीत व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन प्रत्येक 1/3—1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़